कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303
E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 424 दिनांक 06/02/2021

सेवा में

श्री दिलीप कुमार शर्मा,
परियोजना पदाधिकारी, सी0सी0एल0
आम्रपाली, खुली खदान परियोजना,
पो0— डकरा, जिला— राँची।

विषयः— सी0सी0एल0 का आम्रपाली रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 134.97 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक शून्य दिनांक 15.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयक रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु 134.97 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव ऑन—लाईन एवं ऑफ लाईन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेकलिस्ट के अनुसार किया गया। जाँचोपरांत पाया कि कई त्रुटियाँ/आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं है :—

1. पार्ट—I के कंडिका A-1(iii) में वनभूमि लेने का क्या औचित्य है, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
2. पार्ट—I के कंडिका D(ii) में Location of alternative examine is requires to be provided : No का उल्लेख है जबकि रैखिक परियोजनाओं में बिना Alternative examine का प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।
3. पार्ट—I के कंडिका H(i) में परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है या नहीं में No का उल्लेख है जबकि इससे कोयला का परिवहन होना है। ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की आवश्यकता है।
4. Village wise breakup में मौजा—होन्हे के Non-forest land में 10.46 हे0 अंकित है जबकि भूमि विवरणी के Non-forest land में 11.05 हे0 अंकित है। दोनों में विरोधाभाषी है, स्पष्ट करें। साथ ही Land Sechdule के सारांश में 39.63 हे0 अंकित है जबकि Village wise breakup में 39.04 हे0 है। इसे भी स्पष्ट किया जाय।
5. प्रस्ताव में संलग्न Authentic land schedule में प्लॉटवार भूमि का किस्म अंकित नहीं है, अंकित होना अनिवार्य है।
6. NPV, CA and Others मद में राशि जमा करने संबंधित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र (Undertaking) में पूर्व में जमा राशि NPV, CA and Others मद का उल्लेख करने का क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।
7. मौजा— सोपारम के प्लॉट नं0— 236पी0 में 0.55 हे0 उल्लेखित है जबकि अनापति प्रमाण—पत्र में 0.40 हे0 मिला है, स्पष्ट किया जाय। साथ ही प्लॉट नं0 314, रकबा— 0.76 हे0 तथा प्लॉट 313पी0, रकबा— 0.84हे0, गैरमजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि विवरणी में शामिल है परन्तु इसका अनापति प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
8. मौजा— नवाडीह के प्लॉट संख्या— 290पी0 में 1.38 हे0 गैरमजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि Land Schedule में अंकित है जबकि NOC में मात्र 0.17 हे0 का ही मिला है। दोनों विरोधाभाषी है। स्पष्ट करें। साथ ही नवडीहा हेतु गैरमजरूआ जंगल—झाड़ी के लिए मिला अनापति प्रमाण—पत्र में प्लॉट नं0— 10पी0, रकबा— 0.93 हे0, प्लॉट संख्या— 53पी0, रकबा— 0.36 हे0 तथा प्लॉट

Scanned with CamScanner

नं0– 56पी0, रकबा– 0.10 हे0 अंकित है जबकि भूमि विवरणी में उक्त प्लॉटों को शामिल नहीं किया गया है। दोनों विरोधाभाषी है। इसे भी स्पष्ट किया जाय।

9. विषयक परियोजना में गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी 11.83 हे0 प्रभावित होगा, जबकि अनापति प्रमाण–पत्र 6.98 हे0 का है। दोनों विरोधाभाषी है, स्पष्ट करें।

10. प्रस्ताव के साथ वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र में 107.97 हे0 का ही उल्लेख है जबकि अपयोजित होने वाले वनभूमि 134.97 हे0 है। इस अंतर को स्पष्ट किया जाय। साथ ही इस क्रम में हुई ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न नहीं है।

11. प्रस्ताव में Minimum forest land use से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

12. प्रस्ताव में अपयोजित होने वाले वनभूमि किसी भी वन्य प्राणी आश्रयणी / ESZ/टाईगर प्रोजेक्ट का भाग तो नहीं है से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

13. प्रस्ताव के साथ वृक्षों के गणना सूची सारांश के साथ संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।

14. प्रस्ताव के साथ विषयगत परियोजना में Archaeological Imortance से संबंधित Structure है या नहीं से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

15. प्रस्ताव के साथ संलग्न टोपो मैप 1:50000 स्केल पर दिखाये गये रेलवे साईडिंग के रूट में मौजा– पोकला, सेरेनदाग एवं कोयद प्रभावित होते हुये नहीं दिख रहा है जबकि भूमि विवरणी में शामिल है। इसे स्पष्ट किया जाय। साथ ही टोपो मैप पर Alternetive rout दर्शाते हुए भी संलग्न किया जाय।

16. प्रस्ताव में संलग्न Geo-reference map संलग्न है परन्तु इस क्रम में तैयार किये गये पुस्तिका संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।

17. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में प्लॉटवार लंबाई एवं चौड़ाई अंकित नहीं है।

18. प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों को नंबरिंग करते हुये चेक लिस्ट तैयार कर सभी पृष्ठों पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, मुहर के साथ हस्ताक्षर अंकित होना अनिवार्य है।

19. मौजा– सोपारम से कोयद के मौजा मिलान करने पर भिन्नता पाई गई है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही दिखाये गये रेलवे साईडिंग के रूप में खाली स्थान छोड़ने का क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।

20. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Brief Profile संलग्न नहीं है।

21. प्रस्ताव के साथ जिला से संबंधित मूल भूत सूचनाएँ संलग्न नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं होने के कारण ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस की जा रही है।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 06.2.2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

(हस्ताक्षर) 6/2/2021

Scanned with CamScanner